

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 691

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2017/फाल्गुन 3, 1938

No. 69]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2017/PHALGUNA 3, 1938

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2017

विशय : तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली तकनीकी संस्थाओं, मानित विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों में रैगिंग पर रोकथाम और प्रतिबंध

फा. सं. 34—अभातिशप/एआर/रैगिंगरोधी/2016.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 एवं 11 के साथ पिठत धारा 23 की उपधारा, (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शिक्षा परिषद् (तकनीकी प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, एतदद्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली तकनीकी संस्थाओं, मानित विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों में रैगिंग पर रोकथाम और प्रतिबंध) विनियम, 2009, जो कि भारत के राजपत्र में फाइल संख्या 37—3/विधिक/अभातिशप/2009, दिनांक 01.07.2009 द्वारा अधिसूचित किया गया था, में निम्नानुसार द्वितीय संशोधन करती है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) (तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली तकनीकी संस्थाओं, मानित विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों में रैगिंग पर रोकथाम और प्रतिबंध) विनियम, 2009 के पैरा 4 में 4(झ) के पश्चात् "क्या—क्या रैगिंग है" शीर्ष से निम्नलिखित शामिल किया जाता है/जोड़ा जाता है।

4(झ) किसी भी छात्र को (नवीन प्रविश्ट या अन्यथा) लक्षित करके रंग, प्रजाति, धर्म, जाति, जाति, जातिमूल, लिंग (उभय लैंगिकों सहित) लैंगिक प्रवृत्ति, बाह्य स्वरूप, राश्ट्रीयता, क्षेत्रीयमूल, भाशा वैिि।श्ट्य, जन्म स्थान, निवास स्थान या आर्थिक पृश्ठभूमि के आधार पर भाारीरिक अथवा मानसिक प्रताङ्ना (दबंगई एवं बहिश्करण) का कृत्य।

डॉ. ए. पी. मित्तल, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन— III / 4 / असाधारण / 428 / 16(162)]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2017

Sub: Prevention and Prohibition of Ragging in technical Institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education.

F. No. 34-AICTE/AR/Antiragging/2016.—In exercise of its powers conferred under sub-section (1) of Section 23 read with Section 10 and Section 11 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) the AICTE hereby makes 2nd Amendment in Prevention and Prohibition of Ragging in technical Institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education Regulations 2009 which had been notified in the Gazette of India *vide* File No. 37-3/Legal/AICTE/2009 dated 01.07.2009 as under:

"Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education Regulations 2009, in para 4, the following would be included/added after 4 (i) under heading 'What constitutes Ragging':

4(j). Any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background."

Dr. A. P. MITTAL, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./428/16(162)]

PAKESH SUKUL Date: 2017.02.28 15:32:31 +05'30'